सौर ऊर्जा नीति–2022 एवं जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा पार्क एवं जैव ऊर्जा प्रोजेक्टस के निवेशकों को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.10.2023 का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थितिः–

1. श्री अनुपम शुक्ला, निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।
2. श्री राम रतन, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री संजय कुमार त्रिपाठी, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री पी0एल0 मौर्य, उप जिलाधिकारी, बिसवॉ, जनपद सीतापुर।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी, जौनपुर ।
2. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी, जालौन।
3. श्री विशाख जी, जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
4. सुश्री अमृतपाल कौर, मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट।
5. श्री जगदम्बा प्रसाद गुप्ता, अपर जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
6. श्री अरूण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी, झांसी ।
7. श्री अंकुर श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, ललितपुर।
8. श्री प्रशान्त शर्मा, सी.ई.ओ., इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड।
9. श्री मनोज सरदाना, सी.ई.ओ., टुस्को प्रा0 लि0, लखनऊ।
10. श्री राजेश कुमार, सी.ई.ओ., बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड।

बैठक में निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा 06 जनपदों में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना तथा 02 जनपदों में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति द्वारा जनपद वार परियोजनाओं के सम्बन्ध में निम्नवत विचार किया गयाः–

1. जनपद–झांसी

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरइ) भारत सरकार की सोलर पावर एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना विकास योजना के अन्तर्गत टुस्को लिमिटेड (यूपीनेडा एवं टीएचडीसीआईएल लिमिटेड का संयुक्त उपकम) द्वारा जनपद झांसी में 600 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा

है। इस सोलर पार्क की स्थापना हेतु जनपद–झांसी की तहसील–गरौठा के ग्रा यथा–सुजानपुरा, जलालपुरा, पुरा, जसवंतपुरा, नादौरा एवं बरारू में 3000 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित 3000 एकड़ भूमि में से 2736.23 एकड़ निजी भूमि लीज पर प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष चिन्हांकित 263.77 एकड़ सरकारी भूमि लीज पर प्राप्त की जानी है। जिलाधिकारी, झांसी द्वारा दिनांक 19.08.2023 को चिन्हाकिंत सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करा दी गयी हैं। टुस्को लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 600 मेगावाट झांसी सोलर पार्क से उत्पादित 535 मेगावाट विद्युत को यूपीपीसीएल द्वारा क्रय करने की सहमति प्राप्त है एवं 65 मेगावाट ऊर्जा का ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत विक्रय किया जाना है। प्रस्तावित 600 मेगावाट झांसी सोलर पार्क से ऊर्जा निकासी हेतु उत्तर प्रदेश पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर (जीईसी–2) के अन्तर्गत 220/400/765 के0वी0 ग्रिड सबस्टेशन बनाया जा रहा है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 600 मेगावाट झांसी सोलर पार्क हेतु चिन्हांकित 263.77 एकड़ सरकारी भूमि टुस्को लिमिटेड को रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।

2. जनपद–ललितपुर

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरइ) भारत सरकार की सोलर पावर एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना विकास योजना के अन्तर्गत टुस्को लिमिटेड द्वारा जनपद ललितपुर में 600 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रस्तावित सोलर पार्क हेतु जनपद–ललितपुर की तहसील–तालबेहट के ग्रामों यथा–पवा, सरखड़ी, वर्माविहार, शाहपुर, पिपरई, गेवरागुन्देरा, झरर, कड़ेसरा कलां में 3000 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि में से 1682.02 एकड़ निजी भूमि लीज पर प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष 1317.80 एकड़ सरकारी भूमि को जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा दिनांक 23.08.2023 को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करा दिया गया है। टुस्को लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 600 मेगावाट ललितपुर सोलर पार्क से उत्पादित ऊर्जा ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत विक्रय की जायेगी। प्रस्तावित 600 मेगावाट ललितपुर सोलर पार्क से ऊर्जा निकासी हेतु यूपीपीटीसीएल द्वारा जीईसी–2 के अन्तर्गत 220/400/765 के0वी0 ग्रिड सबस्टेशन बनाया जा रहा है।

समिति द्वारा 600 मेगावाट ललितपुर सोलर पार्क हेतु चिन्हांकित 1317.80 एकड़ सरकारी भूमि टुस्को लिमिटेड को रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. जनपद–चित्रकूट

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरइ) भारत सरकार की सोलर पावर एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना विकास योजना के अन्तर्गत टुस्को लिमिटेड द्वारा जनपद चित्रकूट में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रस्तावित सोलर पार्क हेतु जनपद–चित्रकूट की तहसील–मऊ के ग्रामों यथा–छतैनी माफी, खरगडाह, कटैयाडाडी, मनका छतैनी, चचोखर, छरेहरा, डोडियामाफी, कोटवामाफी, उसरी माफी एवं गाहुर में 3706.68 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि में से 2751.30 एकड़ निजी भूमि लीज पर प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष चिन्हांकित 995.38 एकड़ सरकारी भूमि को जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा दिनांक 22.08.2023 को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करा दिया गया है। टुस्को लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क से उत्पादित ऊर्जा को ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत विक्रय किया जायेगा।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क हेतु चिन्हांकित 995.38 एकड़ सरकारी भूमि टुस्को लिमिटेड को रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष हेतु लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. जनपद–जालौन

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरइ) भारत सरकार की सोलर पावर एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना विकास योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड (यूपीनेडा एवं एनएचपीसी लिमिटेड का संयुक्त उपकम) द्वारा जनपद जालौन में 1200 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रस्तावित सोलर पार्क हेतु जनपद–जालौन की तहसील–माधोगढ के ग्रामों यथा–भिटौरा, कन्जौसा, करी, जायघा, मई, महुटा, रामपुरा जागीर एवं तहसील–उरई के ग्रामों यथा–लिधौरा, अमरौड, नुनबई, सैदनगर, घुरट में कुल 4695.928 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित भूमि में से 3110.579 एकड़ निजी भूमि लीज पर प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। अवशेष चिन्हांकित 1585.349 एकड़ सरकारी भूमि को जिलाधिकारी, जालौन द्वारा दिनांक 16.08.2023 को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करा दिया गया है। बीएसयूएल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 1200 मेगावाट जालौन सोलर पार्क से उत्पादित ऊर्जा को ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत विक्रय किया जायेगा।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत 1200 मेगावाट जालौन सोलर पार्क हेतु चिन्हांकित 1585.349 एकड़ सरकारी भूमि बीएसयूएल लिमिटेड को रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष हेतु लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन,
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
संख्या–1462/87–अति0ऊ0स्रो0वि0/2023
लखनऊ : दिनांक: 13 अक्टूबर 2023

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी–झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, सीतापुर, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर।
3. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)।
4. सीजीएम, (आईसी), इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन, नई दिल्ली (द्वारा यूपीनेडा) ।
5. टुस्को लिमिटेड (द्वारा यूपीनेडा)।
6. लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (एलएसपीडीसीएल) (द्वारा यूपीनेडा)।
7. बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लिमिटेड, बीएसयूएल लिमिटेड (द्वारा यूपीनेडा)।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

5. जनपद–कानपुर देहात

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरइ) भारत सरकार की सोलर पावर एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना विकास योजना के अन्तर्गत लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरशन लिमिटेड (यूपीनेडा एवं सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया का संयुक्त उपक्रम) (एलएसपीडीसीएल) द्वारा जनपद कानपुर देहात में 50 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाना है। प्रस्तावित सोलर पार्क की डीपीआर बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित सोलर पार्क हेतु जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा तहसील–अकबरपुर के ग्राम लहरापुर में कुल 308.985 एकड़ सरकारी भूमि दिनांक 02.01.2016 को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में पुर्नग्रहीत की गयी है। एलएसपीडीसीएल द्वारा प्रस्तावित 50 मेगावाट कानपुर देहात सोलर पार्क से उत्पादित ऊर्जा को यूपीपीसीएल द्वारा क्रय करने की सहमति प्रदान की गयी है। इस सोलर पार्क से ऊर्जा निकासी 220/132 के0वी0 रनिया एसएस सबस्टेशन से की जाएगी। यह कैपेसिटी 50 मेगावॉट से बढ़ाकर 75 मेगावॉट के लिए किया जाता है। उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2022 में अधिकतम 05 एकड़ प्रति मेगावॉट भूमि देने का प्राविधान है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत 75 मेगावॉट कानुपर देहात सोलर पार्क हेतु चिन्हांकित 308.985 एकड़ सरकारी भूमि एलएसपीडीसीएल को रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष हेतु लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

6 जनपद–कानपुर नगर

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरइ) भारत सरकार की सोलर पावर एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना विकास योजना के अन्तर्गत लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (एलएसपीडीसीएल) (यूपीनेडा एवं सोलर इनर्जी कारपोरेशन आफ इण्डिया का संयुक्त उपकम) द्वारा जनपद कानपुर नगर में 25 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किये जाने हेतु डीपीआर बनाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। प्रस्तावित सोलर पार्क हेतु जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा तहसील घाटमपुर के ग्राम काटर में कुल 161.394 एकड़ सरकारी भूमि दिनांक 19.02.2015 को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में पुर्नग्रहीत की गयी है। एलएसपीडीसीएल द्वारा प्रस्तावित 25 मेगावाट कानपुर देहात सोलर पार्क से उत्पादित ऊर्जा को यूपीपीसीएल द्वारा क्रय करने की सहमति प्रदान की गयी है। इस सोलर पार्क से ऊर्जा निकासी, 132 केवी जैनपुर एसएस सबस्टेशन से किया जायेगा।

समिति द्वारा विचारोपरान्त पार्क की कैपेसिटी एवं जमीन की उपलब्धता के अनुसार प्लॉण्ट की क्षमता 25 मेगावॉट से बढ़ाकर 35 मेगावॉट किया जाता है। उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति–2022 में अधिकतम 05 एकड़ प्रति मेगावॉट भूमि देने का प्राविधान है। कानपुर नगर सोलर पार्क हेतु चिन्हांकित 161.394 एकड़ सरकारी भूमि एलएसपीडीसीएल को रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष हेतु लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

7. जनपद–सीतापुर

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जनपद सीतापुर में 10 टीपीडी सी0बी0जी0 परियोजना स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 10 टीपीडी सी0बी0जी0 परियोजना स्थापित किये जाने हेतु जनपद सीतापुर की तहसील बिसवॉ के ग्राम शिवथाना में कुल 25.08 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है। चिन्हांकित सरकारी भूमि जिलाधिकारी सीतापुर के पत्र दिनांक 19.09.2023 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को लीज पर उपलब्ध करा दी गयी है। इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उपकम है, द्वारा सरकारी भूमि को लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को 10 टीपीडी सी0बी0जी0 परियोजना जनपद सीतापुर में स्थापित किये जाने हेतु 25.08 एकड़ सरकारी भूमि को रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

8. जनपद–जौनपुर

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 10 टीपीडी सी0बी0जी0 परियोजना जनपद जौनपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 10 टीपीडी सी0बी0जी0 परियोजना स्थापित किये जाने हेतु जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज के ग्राम गरवाह में कुल 44.55 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हांकित की गयी है, जिसमें से 35 एकड़ सरकारी भूमि जिलाधिकारी जौनपुर के पत्र दिनांक 26.08.2023 द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करा दी गयी है। इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा सरकारी भूमि को लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को 10 टीपीडी सी0बी0जी0 परियोजना जनपद जौनपुर में स्थापित किये जाने हेतु सरकारी भूमि 35 एकड़ रू. 1.00 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये लीज पर दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।